कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,बीकानेर

क्रमांक : शिविरा / माध्य / पेंशन–स्थिरी / विविध / 2023 दिनांक :– as e sign

समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,(समस्त) मण्डल परिक्षेत्र ।
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक ।
समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ।

विषय : एन.पी.एस. के तहत नियुक्त समस्त कार्मिकों की एन.पी.एस. राशि की प्रथम कटॉती से अन्तिम कटौति तक सत्यापन बाबत ।

प्रसंग : कार्यालय मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार डायरी संख्या 4372976 दिनांक 27.11.2024 के क्रम में ।

निदेशालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के परिपत्र क्रमांक प.19(ए) / एनपीएस / राज्य सरकार / 2019–20 / 272 दिनांक : 12.06.2024 द्वारा दिनांक 01.04.2022 एवं उसके पश्चात् मृत्यु एवं सेवानिवृत होने वाल राज्य सरकार के एन.पी.एस. कार्मिकों के प्रकरणों का पुरानी पेंशन योजना का कार्मिक मानते हुए निस्तारण किये जाने के संबंध में प्रक्रिया निर्धारित की गई है ।

उक्त परिपत्र के बिन्दु संख्या 03 में उल्लेखित है कि "दावा प्राप्ति पर प्रथम कटॉती से अन्तिम कटौति तक सत्यापन किया जाकर एस.आई.पी.एफ. पोर्टल पर अपडेट किया जायेगा । कार्मिक की कटौतियों का सत्यापन विभागीय रिकॉर्ड, एन.पी.एस. पास बुक अथवा जी.ए.55(ए) के आधार पर किया जाकर, आर.पी.एम.एफ. / आर.जी.एच.एस. की कटौतियॉ एवं एन.पी.एस. से आहरित राशियॉ (यदि कोई हो) का घटाया जायेगा ।"

अतः निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 01.04.2022 एवं उसके पश्चात् मृत्यु एवं सेवानिवृत होने वाल राज्य सरकार के एन.पी.एस. कार्मिकों के प्रकरणों के निस्तारण हेतु राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के उक्त परिपत्र के निर्देशों की आपके कार्यालय एवं अधीनस्थ समस्त कार्यालयाध्यक्षो को अक्षरशः पालना करने हेतु पाबंद करावें ।

संलग्न : उपर्युक्तानुसार ।

मुख्य लेखाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा / माध्य / पेंशन–स्थिरी / विविध / 2023 दिनांक :– as e sign

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा ग्रुप–2, विभाग, जयपुर ।
2. संयुक्त निदेशक, कार्मिक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ।
3. उप निदेशक प्रशासन / समाज शिक्षा माध्यमिक शिक्षा, कार्यालय हाजा ।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, बीकानेर / अजमेर ।
5. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्टस स्कूल, बीकानेर
6. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

मुख्य लेखाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by Vimal Kumar Suthar
Designation : Chief Accounts Officer
Date: 2025.01.20 13:07:57 IST
Reason: Approved

जरिये ई-मेल

राजस्थान सरकार

निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

नेहरू सहकार भवन, चतुर्थ तल, भवानी सिंह रोड जयपुर-302005

[illegible] Phone no. 0141-2207916 Website [illegible]

क्रमांक-प.19(A)/एनपीएस/राज्य सरकार/2019-20/ 277 दिनांक 12 [illegible]

परिपत्र C।

दिनांक 01.04.2022 एवम् उसके पश्चात् मृत्यु/सेवानिवृत्त [illegible] के एनपीएस कार्मिकों के प्रकरणों का निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में [illegible] परिपत्र क्रमांक 04 दिनांक 25.01.2024 में आंशिक संशोधन कर [illegible] जाती है:-

1. दिनांक 01.04.2022 एवं उसके पश्चात सेवानिवृत्त/मृत्यु के [illegible] कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना का कार्मिक मानते हुए [illegible] नोटिफिकेशन दिनांक 19.05.2022 के अनुसार भुगतान की कार्यवाही की [illegible]
2. दिनांक 01.04.2022 के पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों द्वारा दावा [illegible] समय सहमति-पत्र (संलग्न) दिया जाना अनिवार्य है। सहमति-पत्र में राजकोष [illegible] जमा योग्य राशि के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गए निर्देशानुसार [illegible] नियमानुसार राज्य सरकार को देय राशि का समायोजन सेवा उपादान (ग्रेच्युटी) [illegible] शेष उपार्जित अवकाशों के नकदीकरण की राशि से वसूल करने की सहमति प्रदान की जायगी। सहमति पत्र प्रदान नहीं किए जाने की स्थिति में कार्मिक का एनपीएस दावा एनएसडीएल को अग्रेषित नहीं किया जायेगा।
3. दावा प्राप्ति पर प्रथम कटौती से अंतिम कटौती तक के [illegible] जाकर एसआइपीएफ पोर्टल पर अपडेट किया जायेगा। कार्मिक की [illegible] सत्यापन विभागीय रिकार्ड, एनपीएस पासबुक अथवा जीए 55(A) के आधार पर [illegible] जाकर आरपीएमएफ/आरजीएचएस की कटौतियां एवं एनपीएस से [illegible] (यदि कोई हो) को घटाया जायेगा
4. कार्मिक द्वारा सहमति प्रदान करने पर एनपीएस का दावा पूर्ण सन्तुष्टि पश्चात ही एनएसडीएल को प्रेषित किया जायेगा।
5. उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही पश्चात भुगतान प्राप्ति पर सीआरए (एनएसडीएल) पोर्टल पर दर्शाए सकल कार्पस राशि की प्रविष्टि अनिवार्य रूप से एसआईपीएफ पोर्टल [illegible] जायेगी, जिससे सेवानिवृत्त कार्मिक की समायोजन योग्य राशि की गणना की जा सके।
6. उक्त कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात एसआईपीएफ पोर्टल पर एनपीएस [illegible] निम्न परिणाम प्रदर्शित होंगे:-
   a) Total Corpus
   b) Total Claim Amount (c+d)
   c) RPMF/RGHS
   d) Net Claim Amount (b-c)
   e) Recoverable Amount (a-b)

RajKaj Ref 7775434

Signature valid

Digitally signed by Rajpal [illegible]
Designation: Additional Director
Date: 2024.0[illegible]1/1[illegible] [illegible]:26:09 IST
Reason: Approved

- बिन्दु संख्या 6 (a) में प्रदर्शित राशि बिंदु संख्या 5 पर अपडेट की गयी राशि के बराबर होगी।
- बिन्दु संख्या 6 (b) में प्रदर्शित राशि आरपीएमएफ/आरजीएचएस की राशि एवं कार्मिक को भुगतान किये जाने वाली राशि का योग है।
- बिन्दु संख्या 6 (c) में प्रदर्शित राशि आरपीएमएफ / आरजीएचएस [illegible] (8342-00-120-69) में जमा करवाई जाने योग्य राशि है।
- बिन्दु संख्या 6 (d) में प्रदर्शित राशि कार्मिक को भुगतान की जाने वाली सकल राशि है।
- बिन्दु संख्या 6 (e) में प्रदर्शित राशि पेंशन मद (0071-01-800-04-01) में जमा करवायी जाकर सूचना निर्धारित प्रारूप (संलग्न) में सेवानिवृत्त कार्मिक को उपलब्ध करवाई जायेगी।

7 दिनांक 01.04.2022 के पश्चात सेवानिवृत्त हो चुके कार्मिकों के प्रकरणों योग्य निस्तारण से सीआरए (एनएसडीएल) के आदेशों से पूर्व किया किया जाकर सम्पूर्ण कार्पस राशि को राज्य सरकार के पेंशन मद 0071-01-800-04-01 में जमा करवा दिया गया हो तो ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु प्रकरण संभागीय अधिकारी के मार्फत मुख्यालय को भिजवाया जावे ताकि कार्मिक की एनपीएस में जमा निजी अंशदान राशि का भुगतान सक्षम स्वीकृति उपरान्त किया जा सकें।

8 एनपीएस आंशिक आहरण की प्रवृष्टि (Debit) की खतौनी एसआईपीएफ पोर्टल पर होना सुनिश्चित करें एवं यदि कार्मिक द्वारा उसके द्वारा आहरित आंशिक आहरण पुनः जीपीएफ 2004 मद में जमा करवा दिया गया हो तो उसका भुगतान कार्मिक / मनोनीत को जीपीएफ 2004 से किया जावेगा।

9 सेवानिवृत्त कार्मिकों जिनका पेंशन विभाग द्वारा सेवा उपादान (ग्रेच्युटी) एवम् शेष उपार्जित अवकाशों के नकदीकरण की राशि का भुगतान कर दिया गया है, उनके दावे सीआरए एनएसडीएल पर अग्रेषित करने से पूर्व कार्मिक से जमा करवायी जाने योग्य राशि पेंशन बजट में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें।

10 10 वर्ष से पूर्व सेवानिवृत्त कार्मिक अथवा वे कार्मिक जिनके द्वारा सेवा से त्यागपत्र दिया गया है उन कार्मिकों को राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के अन्तर्गत सेवा उपादान (Service Gratuity) नियमानुसार देय होने पर ही सेवा उपादान राशि का भुगतान किया जायेगा। 5 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने से पूर्व सेवानिवृत्त / सेवा से त्यागपत्र देने की स्थिति में सेवा उपादान राशि देय नहीं है। ऐसे कार्मिकों का [illegible] पर अर्जित रिटर्न के बराबर राशि राजकोष में जमा करवाने पर ही उनके दावे एनएसडीएल पोर्टल पर प्रस्तुत किये जायेंगे।

11 जीपीएफ राशि / एनएसडीएल में अहस्तांतरित राशियों के सम्बन्ध राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। मार्गदर्शन प्राप्त होते ही पृथक से सूचित कर दिया जायेगा। अंतिम निर्णय प्राप्त होने तक इन राशियों का समायोजन नहीं किया जाये।

Rajkumar
7775434

Signature valid
Digitally signed by Rampal Parsova
Designation: Additional Director
Date: 2024.03.11 17:26:09 IST
Reason: Approved

12 एनपीएस [illegible] अंशदान राशि की गणना जिला कार्यालय [illegible] उक्त गणना में राज्य सरकार के अंशदान पर [illegible] जायेगा। यदि कार्मिक द्वारा राज्य सरकार के हिस्से की राशि [illegible] से कोई राशि प्रत्याहरित की गयी है तो उक्त राशि [illegible]

13 कार्मिक से सम्पूर्ण राशि मय अर्जित मूल्य जमा [illegible] जिला कार्यालयों के स्तर से किया जायेगा।

14 राशि जमा होने के प्रमाणीकरण की सूचना आईएफएमएस 3.0 [illegible] किया जायेगा, जब तक यह प्रावधान नहीं [illegible] रोशन को इस सम्बन्ध में सूचना प्रेषित की जायेगी।

निदेशक महोदय, का अनुमोदन प्राप्त है।

(रामपाल परसोया)
अतिरिक्त निदेशक जीपीएफ–2004

क्रमांकः–प.19(I)/एनपीएस/राज्य सरकार /2019–20/2773–78 दिनांक 12.06.24
प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, निदेशक महोदय, मुख्यालय, जयपुर राज.।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा), विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. समस्त वरिष्ठ अतिरिक्त/अतिरिक्त/संयुक्त/उप/सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय/ साधारण बीमा निधि जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, सम्भागीय कार्यालय।
5. समस्त संयुक्त/उप/सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जिला कार्यालय।

अतिरिक्त निदेशक जीपीएफ–2004

RajKaj Ref
7775434

Signature valid
Digitally signed by Rampal Parsoya
Designation: Additional Director
Date: 2024.06.11 17:26:09 IST
Reason: Approved